

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

पाधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228] No. 228] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 1, 2019/चैत्र 11, 1941

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 1, 2019/ CHAITRA 11, 1941

#### कारपोरेट कार्य मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2019

सा. का. नि. 275(ज).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में आगे और संशोधन हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है. अर्थात:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निगमन) तीसरा संशोधन नियम, 2019 है।
  - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवत्त होंगे।
- 2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में,
  - i) नियम 38 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

# 38क वस्तु एवं सेवाकर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कर्मचारी' भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

नियम 38 के अधीन किसी कंपनी के निगमन के लिए आवेदन निम्नलिखित संख्याओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन ई-प्ररूप एजीआईएलई (आईएनसी-35) के साथ होगा, अर्थात्:

- (क) 31 मार्च, 2019 से प्रभावी जीएसटीआईएन
- (ख) 08 अप्रैल, 2019 से प्रभावी ईपीएफओ
- (ग) 15 अप्रैल, 2019 से प्रभावी ईएसआईसी
  - ii) उक्त नियमों में, प्ररूप आईएनसी-34 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

1971 GI/2019 (1)

प्ररूप संख्या आईएनसी-35	एजीआईएलई
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 38क के अनुसरण में]।	(वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या, कर्मचारी राज्य बीमा निगम रजिस्ट्रीकरण और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन)

(यह एज	<b>ी</b> आईएल	ई प्ररूप जीएसटीआई	ईएन/ <mark>ईपीएफओ/ईए</mark> स	।आईसी के लिए स्पाइ	स ई-प्ररूप का भाग है)	
1.	*क्या अ	गाप जीएसटीआईएन	/ईपीएफओ/ईएसआई	हेसी जैसी अतिरिक्त	सेवाओं के लिए आवेद	न करना चाहते हैं?
		Oहां (	) नहीं			
2.	*जिस से	ावा लिए आवेदन कर	ना चाहते हैं उसका च	वयन करें: Oजीएसटी	आईएन 0ईपीएफओ 0ई	एसआईसी
3.	*राज्य (	स्पाइस में प्रविष्टि कि	रुए गए अनुसार)			
4.	*जिला ।	(स्पाइस में प्रविष्टि वि	त्रए गए अनुसार <b>)</b>			
5.	*राज्य ६	भ्षेत्राधिकार				
	*सेक्टर/	/सर्किल/वार्ड/चार्ज/इव	नाई			
6.	*केंद्र क्षेत्र	त्राधिकार				
	आयुक्तालय					
	प्रभाग .					
	रैंज					
7.	*रजिस्ट्र	ट्रीकरण प्राप्त करने वे	के कारण		(स्वैच्छिक)	
8.	*क्या सं	ांस्थान पट्टे पर है	0 हां 0 नर्ह	Ì		
	*पट्टे की	ा अवधि	से	तक		
	(क)	*परिसर के अधिग्र	हण का स्वरूप			
	(ख)	*व्यवसाय के मूल	स्थान का प्रमाण			
	(ग)	*क्या संस्थान का	भवन/परिसर निर्ज	ो है या किराए पर है	ţ	
		*यदि किराए पर <sup>ः</sup>	है या इकाई/स्वाम <u>ि</u>	त्व के नाम में बदला	व है,	

	कृपया दर्शाएं					
	*पट्टे की अ	वधि	से तक			
9.	*संयोजन हेतु विकल	प	O हां O नहीं			
(क)	संयोजन की घोषण	-				
•	• '		उपर्युक्त व्यवसाय संयोजन कराधार के तहः ोें और बाध्यताओं का पालन करेगा।	त आ	यकर देने के लिए इस अधि	नियम य
(ख)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति	की श्रे	प्रेणी			
•	गैर अधिसूचित वस्त्	गुओं	का निर्माता			
•	खाद्य और गैर-माद	क्र पे	य वितरक			
•	कोई अन्य पात्र वित	रक				
	पर्युक्त परिसर में की गाएं)	जार	ने वाली व्यवसायिक गतिविधियों का स्वग	रूप (	कृपया जो लागू है, उस प	र निशान
फैक्टरी	/विनिर्माण	0	थोक व्यापार	0	खुदरा व्यापार	0
गोदाम	/डिपो	0	अनुबंधित गोदाम	0	सेवाओं के वितरक	0
कार्याल	य/बिक्री कार्यालय	0	पट्टा व्यवसाय	0	वस्तुओं या सेवाओं का प्राप्तकर्ता	0
ईओयू/ए	एसटीपी/ईएचटीपी	0	कार्य अनुबंध	0	निर्यात	0
आयात		0	अन्य (उल्लेख करें), यदि अन्य है तो उसका उल्लेख करें	0		0
(क) *प्राथमिक व्यवसाय कार्यकलाप *यदि अन्य का चयन किया गया है, तो कृपया इसका उल्लेख करें						
(ख) *क	जर्य/व्यवसाय की वास्	तवि	क प्रकृति			
	*कार्य उप-श्रेणी					
	*व्यवसाय कार्य की	प्रकृ	ते			
11.	. *व्यवसाय द्वारा वितरित की जाने वाली वस्तुओं का विवरण					

	एचएसएन कोड (चार अंक)			(पूर्व पूरित)	
	वस्तुओं के ब्यौरे				
12.	*व्यवसाय द्वारा वितरित की जा	ने वाली सेवाओं के ब्य	ौरे		
	सेवा लेखांकन कोड		(पूर्व	पूरित)	
	सेवाओं का विवरण				
13.	निदेशकों/प्राथमिक स्वामियों/पद	धारी के ब्यौरे			
-	सी के लिए प्रविष्ट किए जाने वाल ड कंपनी के मामले में 3 और उत्प	• •		ट कंपनी के मामले	में 2, पब्लिक
निदेशव	ों की संख्या का विवरण प्रविष्ट वि	<sub>क्या</sub> जाना है	2		
(क) *उ	स निदेशक का विवरण जो प्राधिकृत	हस्ताक्षरकर्ता/प्राथमिक	स्वामी/पदधारी भी है		
*0निदेश	ाक पहचान संख्या (डीआईएन)	0स्थायी खा	ता संख्या (पैन)		
*डीआई	एन	(पूर्व पूरित)		(फोटोग्राफ)	
*पैन			(फोटोर		ाफ इटाएं)
			(उपरोक्त ब	ॉक्स पर क्लिक करके टि आकार की फोटोग्रा	नवीनतम
*पहला	नाम				
मध्य ना	म				
*अंतिम	नाम				
*निजी	मोबाइल संख्या +91	(ओटीपी भेजें)			
*निजी	ई-मेल पता				
*मोबाइ	ल संख्या के लिए ओटीपी लिखें	(ओटी <sup>ए</sup>	ो सत्यापित करें)		
*ई-मेल	पता के लिए ओटीपी लिखें				

(ख) *प्राधिकृत हस्ताक्ष	ारकर्ता/मूल	स्वामी/	पदधारी के	अलावा	निदेशक	का विवरण
-------------------------	-------------	---------	-----------	-------	--------	----------

*0 निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	0 स्थायी खाता संख्या (पैन)/पासपोर्ट संख्या (विदेशी राष्ट्रीयता के मामले में)
*डीआईएन	(पूर्व पूरित) (फोटोग्राफ)
*पैन/पासपोर्ट संख्या	
	इस बॉक्स में एक नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ लगाएं
	(फोटोग्राफ लगाएं) (फोटोग्राफ हटाएं)
	(उपरोक्त बॉक्स पर क्लिक करके नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ लगाएं)
*पहला नाम	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
मध्य नाम	
*अंतिम नाम	
*निजी मोबाइल संख्या +91	
*निजी ई-मेल पता	
14. *पुलिस थाना	
15. * <b>नियोक्ता के ब्यौरे</b>	
*उचित कार्यालय शाखा का चयन	करें
*जांच कार्यालय का चयन करें	
संलग्नक	
	(संलग्नकों की सूची)
1. *व्यवसाय के मूल स्थान का प्रमाण	(संलग्न करें)
2. *प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की नियुन्ति	क का प्रमाण (संलग्न करें)
(निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज संल	प्र किया जा सकता है।
प्राधिकरण पत्र	
निदेशक बोर्ड/प्रबंधन समिति द्वारा पारित स	कल्प की प्रति और स्वीकृति पत्र)
3. *नमूना हस्ताक्षर	(संलग्न करें)
	(संलग्नक हटाएं)

### जीएसटी घोषणा (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा)

• मैं सत्यिनष्ठा से यह पृष्टि और घोषणा करता हूं कि यहां ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ छुपाया नहीं गया है।

# **ईएसआईसी घोषणा** (पदधारी द्वारा)

 मैं यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। मैं क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय, ईएसआई निगम को यथासमय किसी प्रकार के बदलाव होने के साथ-साथ बदलाव के विषय में सूचित भी करूंगा।

# ईएसआईसी घोषणा (मूल स्वामी द्वारा)

मैं सत्यनिष्ठा यह पृष्टि और घोषणा करता हूं कि उपरोक्त सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार

सहा एवं पूर्ण ह जार इ	तिम पुछ छुपाया महा गया हा		
स्थान:			
तारीख:			
पदनाम:	(निदेशक)		
*निदेशक (जिसने स्पा	इस प्ररूप पर हस्ताक्षर किए हैं) द्वा	प डिजीटल रूप से हस्ताक्षर	किए जाएं
*डीआईएऩ/पैन	(डीएससी ब	<sup>र</sup> क्स)	
(एजीआईएलई परिशि खाता संख्या उपलब्ध	ाष्ट प्ररूप पर हस्ताक्षर करने वाले कराएं)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/मूल	स्वामी/पदधारी अपना स्थायी
(उपांतरित करें)	(प्ररूप की जांच करें)	(पूर्व संवीक्षा)	(प्रस्तुत करें)
		ਸ਼ਿਜ਼ <del>ਸੰ</del> 1/13/20	) १३ सीमन V सार्च । खंद ॥

[फा.सं.1/13/2013-सीएल-V, पार्ट-I, खंड-II] के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी :** मूल नियम सा.का.िन. संख्या 250(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा इसमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए:-

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि. 349(अ)	01.05.2015
2.	सा.का.नि. 442(अ)	29.05.2015
3.	सा.का.नि. 99(अ)	22.01.2016
4.	सा.का.िन. 336(अ)	23.03.2016
5.	सा.का.नि. 743(अ)	27.07.2016

	1	1
6.	सा.का.नि. 936(अ)	01.10.2016
7.	सा.का.नि. 1184(अ)	29.12.2016
8.	सा.का.नि. 70(अ)	25.01.2017
9.	सा.का.नि. 955(अ)	27.07.2017
10.	सा.का.नि. 49(अ)	20.01.2018
11.	सा.का.नि. 284(अ)	23.03.2018
12.	सा.का.नि. 708(अ)	27.07.2018
13.	सा.का.नि. 1219(अ)	18.12.2018
14.	सा.का.नि. 144(अ)	21.02.2019
15.	सा.का.नि. 180(अ)	06.03.2019

#### MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th March, 2019

**G.S.R. 275(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Incorporation) Rules, 2014, namely: —

- 1. (1) These rules may be called the Companies (Incorporation) Third Amendment Rules, 2019.
  - (2) They shall come into force on the date of publication in the official gazette.
- 2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules),
  - i) after rule 38, the following rule shall be inserted, namely.-

# "38A. Application for registration of the Goods and Service Tax Identification Number (GSTIN), Employees' State Insurance Corporation (ESIC) registration and Employees' Provident Fund Organisation(EPFO) registration

The application for incorporation of a company under rule 38 shall be accompanied by e-form AGILE (INC-35) containing an application for registration of the following numbers, namely:-

- (a) GSTIN with effect from 31st March, 2019
- (b) EPFO with effect from 8<sup>th</sup> April, 2019
- (c) ESIC with effect from 15<sup>th</sup> April, 2019
  - ii) in the said rules, after Form INC-34, the following form shall be inserted, namely:-

FORM NO. INC-35		AGILE			
Co	cursuant to rule 38A of the ompanies (Incorporation) Rules,	Application for Goods and services to Identification number, employees state Insurant corporation registration pLus Employee provident fund organisation registration)			
(Th	is AGILE form is part of SPICe eform for GSTIN/ EP	FO / ESIC)			
1.	* Do you want to apply for additional services like No	ke GSTIN / EPFO / ESIC? • Yes • O			
2.	* Select the service you want to apply for:	☐ GSTIN ☐ EPFO ☐ ESIC			
3.	* State (Same as entered in SPICe)				
4.	* District (Same as entered in SPICe)				
5.	* State Jurisdiction  * Sector / Circle / Ward /Charge / Unit				
6.	* Center Jurisdiction				
	Commissionerate				
	Division				
	Range				
7.	* Reason to Obtain Registration	Vountary			

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

8. *Whether The Establishment On Lease O Yes o No	
* Leased From Date To Date	
(a). * Nature of possession of premises	
(b) * Proof of Principal Place of Business	
(c) * Whether the building/premises of Establishment.is owned or hired.	
* If hired or there is a change in the name of Unit/ownership, please indicate	
* Leased From Date To Date	
9. * Option for Composition <b>O</b> Yes ⊙ No	
a) Composition Declaration	
☐ I hereby declare that aforesaid business shall abide by the conditions and restriction	s specified
<ul><li>in the Act or Rules for opting to pay tax under the composition levy.</li><li>b) Category of Registered Person</li></ul>	
☐ Manufacturer of non-notified goods	
□ Supplier of food and non-alcoholic drinks	
☐ Any other eligible supplier	
10. * Nature of Business Activity being carried out at above mentioned Premises (Please	tials
applicable)	tick
Factory /	
Warehouse/Depot □ Bonded Warehouse □ Supplier of services	
Office/Sale Office    Leasing Business    Recipient of goods or services	
EOU/ STP/ EHTP	
Import □ Others (specify), If others, please specify	
(A). * Primary Business Activity	-
*If Others selected, please specify	

(B) * Exact nature of work / business  * Work Sub-category  * Nature of work business  11. *Details of the Goods supplied by the Business	siness
HSN Code (Four digit)	Prefill
Description of Goods	
12. *Details of Services supplied by the Busin	ness.
Service Accounting Code	Pre-fill
Description of Services	
13. Directors / Primary Owners / Office Be	arer Details
	red for OPC shall be 1, 2 in case of private company, apany and 5 in case of Producer Company)
Number of Director details to be entered	2
(A) *Enter Director details who is also an Au	thorised Signatory / Primary Owner / Office Bearer
* o Directors Identification Number (DIN	O Permanent Account Number (PAN)
*DIN	Pre-fill Photograph
*PAN	
*First Name	
Middle Name	Attach Remove Photograph Photograph
*Last Name	Attach a latest passport
	Attach a latest passport size photograph by clicking the above box
*Personal Mobile Number +91	Send OTP
1 ordenar Emairia	

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 11

*Enter OTP for Mobile Number  *Enter OTP for Email Id	Verify OTP	
(B) *Director Details other than Authorised Signat	ory / Primary Owner / Office Bearer	
* o Directors Identification Number O Permar	nent Account Number / Passport Number (in case	
of foreign national	Pre-fill Photograph	
*DIN		
*PAN / Passport Number		
*First Name		
Middle Name	Attach Remove	
*Last Name	Photograph Photograph	
*Personal Mobile Number	Attach a latest passport size	
*Personal Email ID	photograph by clicking the	
14. * Police Station  15. * Employer's Particulars  * Select Appropriate Branch Office  * Select Inspection Office	List of Attachments	
Attachments		
1. *Proof of Principal place of business Attach		
2. *Proof of appointment of Authorized Signatory		
(Either of the following document can be attached. Letter of Authorisation Copy of Resolution passed by BoD / Managing Comm 3. * Specimen Signature	Attach  Remove attachment	
GST Declaration (By Authorized Signatory)		
☐ I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.		

ESIC Declaration (By Office Bearer)			
☐ I hereby declare that the statement given above is correct to the best of my knowledge and belief. I also undertake to intimate changes if any, promptly to the Regional Office/Sub Regional Office, ESI Corporation as soon as such change takes place.			
<b>EPFO Declaration</b> (By Primary Owner)  □ I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom			
Place			
Date			
Designation	Director		
*To be digitally sig * DIN/PAN	ned by director (who has signed the SPICe form)  DSC BOX		
(Authorized signatory / Primary Owner / Office Bearer signing the AGILE form shall provide his Permanent Account Number)			
Modify	Check Form Prescrutiny Submit		

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 250(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2014 and subsequently amended *vide* the following notifications:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 349 (E)	01-05-2015
2.	G.S.R. 442 (E)	29-05-2015
3.	G.S.R. 99 (E)	22-01-2016
4.	G.S.R. 336(E)	23-03-2016
5.	G.S.R. 743(E)	27-07-2016
6.	G.S.R. 936(E)	01-10-2016
7.	G.S.R. 1184 (E)	29-12-2016
8.	G.S.R. 70 (E)	25-01-2017
9.	G.S.R. 955 (E)	27-07-2017
10.	G.S.R. 49 (E)	20-01-2018
11.	G.S.R. 284 (E)	23-03-2018
12.	G.S.R. 708 (E)	27-07-2018
13.	G.S.R. 1219 (E)	18-12-2018
14.	G.S.R. 144 (E)	21-02-2019
15	G.S.R. 180 (E)	06-03-2019